संख्या: 24/2019/1367/सत्रह-म-2019-6-9 (2)/19

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 21 नवम्बर,2019

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 400.00 लाख के सापेक्ष कुल रू0 650.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-349 /नि0शा0/2019-20 दिनांक 18 अक्टूबर 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 400.00 लाख के सापेक्ष आय-व्ययक में प्राविधानित बजट रू0 4195.78 लाख के अन्तर्गत मैंचिंग राज्यांश रू0 250.00 लाख को सम्मिलित करते हुए रू0 650.00 लाख (रू0 छः करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-जे0-1203113/48/2017-एफवाई-।। दिनांक 12 सितम्बर, 2018 तथा समसंख्यक शुद्धि पत्र दिनांक 31.07.2018 द्वारा कुल रू0 5151.86 लाख की परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी, जिनमें केन्द्रांश रू0 1608.86 लाख, राज्यांश रू0 1140.40 लाख एवं लाभार्थी अंश रू0 2626.50 लाख की धनराशि निहित थी। उक्त कुल केन्द्रांश रू0 1608.86 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 804.43 लाख (सामान्य मद हेतु रू0 569.43 लाख + अनुसूचित जाति मद हेतु रू0 177.00 लाख+अनुसूचित जनजाति हेतु रू0 58.00 लाख) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

3- ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त उक्त केन्द्रांश में से सामान्य मद में कुल धनराशि रू0 942.23 लाख (रू0 569.43 लाख केन्द्रांश तथा रू0 372.80 लाख मैचिंग राज्यांश) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-13/2019/599/ सत्रह-म-2019-6-9(2)/19 दिनांक 06 जून, 2019 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0-1203113/48/2017- एफवाई-।।, दिनांक 19.09.2019 द्वारा वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) में ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत सामान्य मद में द्वितीय किश्त के रूप में रू0 400.00 लाख का केन्द्रांश अवमुक्त किया गया है।

4- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) में ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 400.00 लाख के सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश रू0 250.00 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 650.00 लाख (रू0 छः करोड पचास लाख मात्र) को निम्न तालिकानुसार 11 मदों में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र0 सं0	परियोजना का नाम फण्डिंग पैटर्न (के0+रा0+ला0)	भौतिक इकाई (हे0/सं0)	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	अनुमन्य अनुदान (के0+रा0)	वर्ष 2018-19(कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु सामान्य मद में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 400.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत की जा रही धनराशि			अभ्युक्ति
						केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	नये तालाबों का निर्माण (महिला) (के036%+रा024%+ला0 40%)	64.80 हे0	7.00	453.60	272.16	163.296	108.864	272.16	मत्स्य निदेशालय के पत्र संख्या-349/ नि0 शा0/ 2019-20 दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 द्वारा संलग्नकों के रूप में उपलब्ध कराये गये जनपदवार विवरण/ फांट के अनुसार ।
2	मत्स्य पालन हेतु निवेश (नये तालाबों हेतु (महिला) (के036%+रा024%+ ला0 40%)	64.80 हे0	1.50	97.20	58.32	34.992	23.328	58.320	
3	क्राफट एवं गियर इकाईयों की स्थापना(यू0पी0एफ0सी0एफ0) (सामान्य) (के024%+रा016%+ ला0 60%)	10 सं0	1.00	10.00	4.00	2.40	1.60	4.00	
4	आई0एम0सी0 हैचरियों की स्थापना (महिला) (के036%रा024%ला0 40%)	01 सं0	25.00	25.00	15.00	1.80	1.20	3.00	
5	मोटर साइकिल विथ आइस बाक्स का क्रय (सामान्य) (के024%+रा016%+ ला0 60%)	350 सं0	0.60	210.00	84.00	50.40	33.60	84.00	
6	आटो रिक्शा विथ इन्सुलेटेड आइस बाक्स फेडरेशन(सामान्य) (के024%+रा016%+ ला0 60%)	05 सं0	2.00	20.00	8.00	4.80	3.20	8.00	
7	रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम मध्यम आकार (महिला) (के036%+रा024%+ला040%:)	9 सं0	50.00	450.00	270.00	57.60	38.40	96.00	
8	लघु फिश फीड मिल (महिला) (के036%+रा024%+ला040%)	2 सं0	10.00	20.00	12.00	3.60	2.40	6.00	
9	मनरेगा तालाबों में निवेश (सामान्य) (के024%+रा016%+ला0 60%)	350 हे0	1.50	525.00	210.00	24.792	16.528	41.320	

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10	मनरेगा तालाबों में निवेश (महिला) (के036%+रा024%+ला040%)	58 हे0	1.50	87.00	52.20	31.32	20.88	52.20	
	उपयोग-					**375.00**	**250.00**	**625.00**	
11	प्रशासकीय व्यय (कुल केन्द्रांश का 3 प्रतिशत)			46.86	0.00	25.00	0.00	25.00	मत्स्य निदेशालय स्तर से धनराशि आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।
						400.00	**250.00**	**650.00**	

(रू0 छः करोड पचास लाख मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या- संख्या-2/2018 /2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग- निर्देश में दिये गये निर्देर्शो व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) भारत सरकार के पत्रांक जे0-18001/1/2017- एफवाई दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर- 3 के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्मका उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019तथा शासनादेश संख्या-बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/ डाकघर / बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षकों में जमा कराने का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(11) मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाय। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेण्डर /जेम पोर्टल विषयक दिशा- निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

(12) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2019- 20 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक-2405- मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना, 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-1031/ ई-1-दस-2019, दिनांक 19 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या- 24/2019/1367(1)/ सत्रह-म-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।